न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2024/75 दायरा दिनांक : 10.06.2024

उनवान

ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण आयु 53 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम डाबडिया तहसील अटरू जिला बांरा (राज0) –अपीलान्ट

बनाम

1– पन्नी बाई पुत्री मांगीलाल आयु 58 वर्ष जाति मीणा निवासी रामनिवास तहसील अटरू जिला बांरा (राज0)

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू जिला बारां (राज0)

–रेस्पोडेन्ट्स

यह अपील अन्तर्गत धारा 223
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री जितेन्द्र चौरसिया अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित

निर्णय दिनांक : 23.06.2025

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू के प्रकरण संख्या 73/2014 निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2022 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम एवं माल डाबडिया तहसील अटरू जिला बारां में साबित खाता संख्या 124 का खसरा नं. 188 का रकबा 6 बीघा आराजी वादी के पिता लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीलाल जाति मेघवाल के कैम्प डाबडिया में दिनांक 18.06.1965 को अलोट हुई थी। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 12.09.2022 से वादी का वाद खारिज किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में विवादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पिता को अलॉट हुई थी, तथा बाद अलॉटमेन्ट से ही अपीलान्ट के पिता एवं उनके देहावसान के पश्चात अपीलान्ट एवं सहखातेदारान ही काश्त करते चले आ रहे है, परन्तु सेटलमेन्ट के पश्चात सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादी की कृषि आराजी का खसरा नं0 242 का रकबा 0.76 हैक्टर, दर्ज कर दिया जबकि खसरा नं0 188 का रकबा 6 बीघा दर्ज था, परन्तु फिर भी सेटलमेन्ट विभाग के कर्मचारियों द्वारा त्रुटिवश

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपीलान्ट की आराजी राजस्व रिकॉर्ड में 0.20 है0 कम कर दी, तथा रेस्पोडन्ट के खाते की कृषि आराजी के खसरा नं0 188 मिन, 188/224 व 188/323 कुल 3 किता की रकबा 14 बीघा के नवीन खसरा नं० 190 की रकबा 1.10 है0 खसरा नं0 243 की रकबा 0.95 है0 व खसरा नं० 244 की रकबा 0.49 है0 कुल 3 किता की रकबा 2.54 है0 दर्ज कर दी गई इस प्रकार सेटलमेन्ट के कर्मचारियो द्वारा त्रुटिवश प्रतिवादीनी कम 1 की कृषि आराजी के रकबे को 0.30 है0 बढ़ा दिया गया, उक्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पत्रावली में उपलब्ध होने के उपरान्त भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद खारिज फरमा दिया गया, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.09.2022 की तनकी नं0 7 का निर्णय करते हुये यह स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि यह तथ्य साबित हो चुका है कि सेटलमेन्ट के दौरान वादी का मूल रकबा 0.20 है0 कम कर दिया गया है जिससे वादी को अपनी आराजी पर हक व अधिकार से वंचित होना पड़ा है। प्रतिवादीनी कम 1 का रकबा भी 0.30 है0 बढ़ाया गया है, लेकिन पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में वादी अपने अनुतोष को साबित नहीं कर पाया है, अतः यह नही कहा जा सकता है की वादी द्वारा प्रतिबादिनी क्रम 1 के विरुद्ध झूठा दावा पेश किया है, अतः तनकी नं0 7 प्रतिवादीनी क्रम 1 के विरुद्ध निर्णित की जाती है। उक्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय की जानकारी में होने के पश्चात भी माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद यह कहते हुये खारिज कर दिया की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यो के आधार पर वादी का वाद खारिज किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट की आराजी की कमीपूर्ति रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के खाते एवं कब्जे काश्त की भूमि से ही की जानी चाहिये थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं करके कानूनी त्रुटि की गई है, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.09.2022 योग्य अधिनरथ न्यायालय निरस्त फरमाया जावे।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 04.03.2024 को हुई। जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है। अतः विलम्ब का शमन किया जाये।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने के कारण अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस सुनी गई ।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि सेटलमेंट के बाद 0.96 हैक्टर के स्थान पर 0.76 हैक्टर दर्ज हुआ। हमारे पडौसी पन्नीबाई का रकबा बढा दिया गया है। मौके पर हमारा कब्जा सम्पूर्ण आराजी पर है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी नं. 7 में हमारा रकबा कम होना स्वीकार किया है। हमारी 0.20 हैक्टर जमीन कम हुई है और रेस्पोडेंट की 0.30 जमीन बढी है। अतः अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

अपीलांट के लायक अधिवक्ता ने सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किये जाने का निवेदन किया । हमने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के लायक अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार अपीलांट वादी ने विरूद्ध प्रतिवादी ग्राम डाबडिया तहसील अटरू की खाता संख्या 124 का खसरा नं. 188 रकबा 6 बीघा आराजी के संदर्भ में अन्तर्गत धारा 88, 89, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत् वाद प्रस्तुत कर कथन किया है कि उक्त वर्णित आराजी के बाद सेटलमेंट नयी खाता संख्या 126 खसरा नं. 242 रकबा 0.76 हैक्टर अर्थात 4 बीघा 12 बिस्वा दर्ज किया है, जो पुराना रकबा 6 बीघा से 0.20 हैक्टर कम है, को दुरूस्त कर 0.76 हैक्टर के स्थान पर 0.96 हैक्टर दर्ज कर वादी एवं सहखातेदारान को 0.96 हैक्टर आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जाये। प्रतिवादी कम 1 को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाये कि वह वादी एवं अन्य सहखातेदारान के स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की आराजी पर जबरन कब्जा कर ले तो उसे बेदखल कर कब्जा पुनः वादी को दिलाया जावे। वादी अपीलांट का कथन है कि सेटलमेंट विभाग के कर्मचारियों ने उसके खाते की आराजी का रकबा कम कर पास के खातेदार पन्नीबाई पुत्री मांगीलाल जाति मीणा के पुराना रकबा जो 14 बीघा खाते दर्ज चला आ रहा था, सेटलमेंट विभाग ने उसकी नयी खाता संख्या 63 के किता 3 का रकबा 2.54 हैक्टर खाते दर्ज कर दी है, जो गलत है।

अधीनस्थ न्यायालय ने बाद सुनवाई उभयपक्ष तनकीवार विवेचन करते हुए अपने निर्णय दिनांक 12.09.2022 से वादी का वाद खारिज किया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न आवंटन आदेश दिनांक 18.06.1965 प्रदर्श पी–1 ए के अवलोकन अनुसार ग्राम डाबडिया का खसरा नं. 188

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

रकबा 6 बीघा आराजी लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीलाल धाकड निवासी डाबडिया को आंवटित हुई थी। ग्राम डाबड़िया संवत् 2037–40 प्रदर्श पी–2 के अनुसार खसरा नं. मिन 188 रकबा 6 बीघा आराजी लक्ष्मीनारायण वल्द श्रीलाल जाति मेघवाल के खाते दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार उक्त दोनों दस्तावेजों में लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीलाल नाम तो एक है परंतु जाति भिन्न है। प्रदर्श पी–4ए मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त विभाग के अनुसार साबिक खसरा नं. 188 मिन रकबा 6 बीघा के हाल खसरा नं. 242 रकबा 0.76 हैक्टर दर्ज है। ग्राम डाब्रडिया की जमाबंदी संवत् 2069–2072 प्रदर्श पी–5 के अनुसार खसरा नं. 242 रकबा 0.76 हैक्टर वादी के पिता लक्ष्मीनारायण पुत्र श्रीलाल जाति मेघवाल के खाते दर्ज है। इसी जमाबंदी में नामान्तरण संख्या 336 दिनांक 20.02.2014 से मृतक लक्ष्मीनारायण के स्थान पर ओमप्रकाश, हरलाल, छोटूलाल पुत्र गंगाबाई, जमनाबाई पुत्रियां, कंचनबाई बेवा लक्ष्मीनारायण का नाम दर्ज करने का नोट अंकित है।

ग्राम डाबडिया की जमाबंदी 2069–2072 प्रदर्श 6 के अनुसार खसरा नं. 190, 243, 244 रकबा 2.54 हैक्टर आराजी प्रतिवादी/रेस्पोडेंट क्रम 1 पन्नी बाई पुत्री मांगीलाल जाति मीना सा. रामनिवास के खाते दर्ज है। प्रदर्श पी–3ए मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त विभाग के अनुसार साबिक खसरा नं. 188 मिन का गत क्षेत्रफल अंकित नहीं है। इसका हाल खसरा नं. 190 रकबा 1.10 हैक्टर दर्ज है। इसी प्रकार साबिक खसरा नं. 188/224 रकबा 7 बीघा का हाल खसरा नं. 243 रकबा 0.95 हैक्टर एवं साबिक खसरा नं. 188/223 रकबा 7 बीघा का हाल खसरा नं. 244 रकबा 0.49 हैक्टर दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में तीन रजिस्टर्ड बयनामों की फोटो प्रतियां सलंग्न है, जिनके अनुसार रूकमाबाई व रामप्रसाद विक्रेता ने पन्नीबाई पुत्री मांगीलाल क्रेता को आराजी का बेचान किया है। प्रथम बयनामे में, जो पत्रावली के पेज नं. 41 पर सलंग्न है, आराजी का खसरा नम्बर पठनीय नहीं है साथ ही मूल दस्तावेजों की फोटोप्रतियां होने से उन्हें साक्ष्य में विधिक रूप से ग्राह्य नहीं किया जा सकता।

अपीलांट वादी द्वारा प्रस्तुत आवंटन आदेश दिनांक 18.06.1965 प्रदर्श पी–1ए, जमाबंदी संवत 2037 से 2040 प्रदर्श पी–2, मिलान क्षेत्रफल बंदोबस्त प्रदर्श – 4 ए के अनुसार वादी की खातेदारी में दर्ज आराजी का रकबा कम होना प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है लेकिन वादी अपीलांट ने अपने व प्रतिवादी रेस्पोडेंट क्रम 1 के खाते की बंदोबस्त जमाबंदी एवं बंदोबस्त के तुरंत पहले की चौसाला जमाबंदी पेश नहीं की है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न राजस्व रिकार्ड के आधार पर यह साबित नहीं होता कि रकबे की कमी बंदोबस्त विभाग द्वारा दौराने बंदोबस्त की गई है। अपीलांट ने प्रस्तुत अपील में फर्द के साथ जो राजस्व रिकार्ड पेश किया है उनमें भी यह साबित नहीं होता है कि वादी अपीलांट का जो रकबा कम हुआ है वह दौराने बंदोबस्त कम हुआ है एवं कम हुआ रकबा प्रतिवादी रेस्पोडेंट

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

क्रम 1 के खाते दर्ज हुआ है। अतः दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में हम अपील के इस आधार पर अपीलाधीन निर्णय में हस्तक्षेप करना उचित नही समझते।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.09.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

23/06/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

ओमप्रकाश पुत्र लक्ष्मीनारायण आयु 53 वर्ष जाति मेघवाल निवासी ग्राम डाबडिया तहसील अटरू जिला बांरा (राज0) .... **अपीलांट**	**बनाम**	1– पन्नी बाई पुत्री मांगीलाल आयु 58 वर्ष जाति मीणा निवासी रामनिवास तहसील अटरू जिला बांरा (राज0) 2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अटरू जिला बारां (राज0) .... **रेस्पोडेंट**

अपील नं **2024/75**
मु.द.नं0 **73/2014**

एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, अटरू**
निर्णय व डिक्री दिनांक – **12.09.2022**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख **09 माह 06** सन् **2025**

श्री **जितेन्द्र चौरसिया** अभिभाषक अपीलांट की ओर से, **रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित**

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.09.2022 यथावत रखा जाता है।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **23 माह 06 सन् 2025** को जारी किया गया ।

मोहर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा (राज0)